न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	16.07.2021	08.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सोगाणी किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं03 काछियो का मोहल्ला अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 08.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2021 को समय 1.01 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सोगाणी किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सोगाणी किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं03 काछियो का मोहल्ला अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री ललित कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस [illegible] जिस पर विक्रेता ललित कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी [illegible] हस्[illegible] कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान मे 200–200 एम.एल के 60 नग कागज के कार्टून मे **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand) रखे हुये मे से 200–200 एम.एल मूल पैक के 8 नग का चयन कर इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री ललित कुमार जैन को रू0 237/–अक्षरे दौ सौ सैतीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand)200–200 एम.एल. के 8 नग कुल मात्रा 1600 एम.एल. को 200–200 एम.एल. को बराबर–बराबर (एक भाग 400 एम.एल) को ज्यो का त्यो खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2800 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2800 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. ललित कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/810 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/447/एक्ट/2021/506 दिनांक 30.03.2021 अनुसार ललित कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **वनस्पति मधु श्री ब्राण्ड** (Vanaspati Madhu Shree Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री पारस चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स सोगाणी किराणा स्टोर बस स्टैण्ड सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं03 काछियो का मोहल्ला अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

8.10.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:44 IST
Reason: SelfAttested